		हुक्म जारी
5.11.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हड़मानराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट कस्वा की ओर से अधिवक्ता श्री पुरखाराम महिया ने पेश किया। जो सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम हड़मानराम पुत्र भगवानाराम अंकित है जबकि वाके रोही कुचौर आथूणी के नया खाता सं. 448 पुराना 431 के खेत खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1291 रकबा 9.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 9.57 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम हनुमानराम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही कुचौर आथूणी के नया खाता सं. 448 पुराना 431 के खेत खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1291 रकबा 9.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 9.57 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमानराम के स्थान पर हड़मानराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया । 5/11/19 उपखण्ड अधिकारी नोखा उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.09 17:15:31 IST
Reason: SelfAttested